



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 02.07.2025

“Operation Conviction” के तहत प्रयागराज पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मु0अ0सं0-397/2020 धारा-304(2)/323/34 भा0द0सं0 के 04 अभियुक्तों का दोष सिद्ध का विवरण-

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “Operation Conviction” अभियान के दृष्टिगत श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में व श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में जोन-गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक-02.07.2025 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रयागराज द्वारा थाना होलागढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-397/2020 धारा-304(2)/323/34 भा0द0सं0 के 04 अभियुक्तों 1. बृजलाल पुत्र स्व0 राम किशोर 2. रोशनलाल पुत्र बृजलाल 3. गौरव पुत्र बृजलाल 4. सौरभ पुत्र बृजलाल समस्त निवासीगण ग्राम तरती थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज को धारा 304(2)/34 भा0द0सं0 में प्रत्येक को 05-05 वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 323/34 भा0द0सं0 में प्रत्येक को 01-01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया।

दोष सिद्ध अभियुक्तों का विवरण-

1. बृजलाल पुत्र स्व0 राम किशोर निवासी ग्राम तरती थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. रोशनलाल पुत्र बृजलाल निवासी ग्राम तरती थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. गौरव पुत्र बृजलाल निवासी ग्राम तरती थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. सौरभ पुत्र बृजलाल निवासी ग्राम तरती थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं०-397/2020 धारा-304(2)/323/34 भा०द०सं० थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज ।

पैरवी करने वाली टीम का विवरण-

1. ए०डी०जी०सी० के०एन० सिंह ।
2. थाना प्रभारी वीरेन्द्र मिश्रा, थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. हे०का० पुनीत कुमार, कोर्ट मोहरीर ।
4. का० अनुज कुमार, पैरोकार थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज ।